न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 57/2023
(GCMS 2023/326)(212451458269597)

रामचन्द्र पुत्र लाला राम जाति ब्रह्मण गांव खांटा तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 14.08.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई और आवेदन पत्र में वर्णित सूचना बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5 का अपने पत्रांक आरटीआई/90/2023/536 दिनांक 16.08.2023 से मिथ्या जवाब प्रस्तुत किया है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

1. ईमीचंद पुत्र कानाराम जाति कुम्हार गांव में तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
2. श्री रामचन्द्र पुत्र लाला राम ब्रह्मण गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. **दयालो** पत्नी लालचंद पुत्र गोरादेवी पत्नी उदाराम, 2 **देवीलाल** पुत्र गोरा देवी पत्नी उदाराम 3. **पृथ्वीराज** पुत्र गोरादेवी पत्नी उदाराम, 4 **रामकुमार** पुत्र गोरा देवी पत्नी उदाराम 5 **विद्या देवी** पुत्री गोरा देवी पत्नी उदाराम 6. **रूकमा देवी** पुत्री गोरा देवी पत्नी उदाराम जाति जाट मूल निवासी गांव खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी आनंदगढ तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर रूकमा देवी पत्नी जगदीश व विद्या देवी पत्नी लूणाराम गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

1. उक्त प्रार्थना पत्र व ओडरशीट की प्रमाणित सुदा नकल
2. अप्रार्थीगण रूकमादेवी पत्नी जगदीश, विद्या देवी पत्नी लूणाराम भादू जाति जाट गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर को जारी किया गया नोटिस की प्रमाणित प्रति।
3. शिकायत पत्र की जांच अधिकारी का पद, नाम, पता कार्यालय मुहर से प्रमाणित सुदा नकल
4. प्रार्थना पत्र में वर्णित संबंधित कार्यालय से प्राप्त टीसी 1995 से 2004 तक गिरदावरी की प्रमाणित सुदा नकल
5. संबंधित कार्यालय से प्राप्त आवंटन मूल पत्रावली, आवंटी मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:44 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलेक्ट्रेट, **श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक आरटीआई/90/2023/536 दिनांक [illegible].08.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.08.2023 द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 536 दिनांक 16.08.2023 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को लिख गया था, जिसकी प्रति पत्रांक 537 दिनांक 16.08.2023 द्वारा अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से सम्बन्धित जवाब उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा पेश किया जाना है।

-sd-
(अरविन्द कुमार जाखड़)
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई. / 90 / 2023 / 536 दिनांक 16.08.2023 से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को स्थानान्तरित कर दिया था और अपीलार्थी को अपने पत्रांक 537 दिनांक 16.08.2023 से सूचित किया जा चुका है। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का कार्यालय नवगठित जिला अनूपगढ़ के क्षेत्राधिकार में है। **अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।** इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2024 [illegible] मेरे [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:44 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर